Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **हनुमानगढ़ में परिवहन उपनिरीक्षक 90 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 नवम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बीकानेर एस.यू. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते बलवान कुमार परिवहन उपनिरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **90 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बीकानेर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके ट्रांसपोर्ट कम्पनी की गाड़ियों का चालान नहीं करने की एवज में बलवान कुमार परिवहन उपनिरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा मासिक बंधी के रूप में **90 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार विश्नोई** के सुपरविजन में एसीबी बीकानेर एस.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री गुरमैल सिंह** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये बलवान सिंह पुत्र श्री हरदेवाराम सहारण निवासी अरड़की, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ हाल परिवहन उपनिरीक्षक कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी नोहर, जिला हनुमानगढ़ को परिवादी से **90 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।